

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, नागौर

Office of the Senior Geologist, Department of Mines & Geology, Khanij Bhavan, Nagaur

(Email:- sg.nagaur@rajasthan.gov.in)

खुली निविदा का प्रारूप

1. विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य,एम.एल. /पी.एल./सी.एल. क्लैत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्प्लिंग (सेम्प्ल कलेक्शन एवं सेम्प्ल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य ,सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य, परियोजना संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यों को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना होगा।
2. निविदा जारी करने की तिथि:-21.08.2024।
3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :-20.08.2024।
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था /एजेन्सी का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नं.:—
.....
5. धरोहर राशि रु. 16000/- (अक्षरे रु. सोलह हजार मात्र) का बैंकर्स चेक /डी.डी. नं.....
..... दिनांक.....
6. किसको सम्बोधित किया जाना है :—वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, नागौर
7. संदर्भः—निविदा संख्या—राजकाज रेफरेन्स संख्या 9731291 दिनांक 12.08.2024।
8. अनुमानित लागत :— रु. 8.00 लाख (अक्षरे रु. आठ लाख मात्र)।
9. निविदा सूचना संख्या राजकाज रेफरेन्स संख्या 9731291 दिनांक 12.08.2024। जो कि कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों के पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गयी हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनके वर्णित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का पालन करने के लिए भी सहमत हैं एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी नियमों व निर्देशों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
10. मैं/हम निविदाकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं:—

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	आयकर (पेन नं.)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				
7.	बैंक खाता नं., बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड के लिये पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि				

11. मैं/हम निविदाकार सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे हैं (दरें भरें):—

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य, एम.एल. /पी.एल./सी.एल. क्षेत्रों पर आव यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य, परियोजना संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यों को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना।	1.अकुशल—8	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार		निर्धारित प्रचलित दर अनुसार	निर्धारित प्रचलित दर अनुसार		

निविदा की शर्तें

11. निविदा सूचना में "दिये गये निर्देशों" के अनुसार यथोचित रूप से निविदा को मुहरबंद लिफाफे में बंद करके भिजावें/प्रस्तुत करें।
12. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अहंत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
13. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाना सुनिश्चित करें।
14. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
15. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
16. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा तथा इसका पूर्ण दायित्व अनुमोदित निविदाकार का होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
17. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

18. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
19. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थित में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। (यदि निविदादाता जीएसटी दायरे में आता है।)
20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।
25. संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् संवेदक द्वारा कार्यालय आदेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
26. निविदाकार निविदा के साथ आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
27. टेण्डर फार्म स्थानी अथवा टंकण द्वारा भरा जा सकेगा। पेंसिल से भरा गया टेण्डर फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकार टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं अन्त में टेण्डर की समस्त शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर करेंगे।
28. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किसी प्रकार का संशोधन होने पर अथवा त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए एवं दिनांक सहित लम्बे हस्ताक्षर प्रमाणन हेतु किये जाने चाहिए।
29. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के कार्य स्थल तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यातायात प्रभार देय नहीं होगा।
30. टेण्डर खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए स्वीकृति निर्णयन हेतु वैध होंगे।
31. अनुमोदित निविदाकार के संबंध में समस्त शर्तों या वैधानिक उत्तरदायित्वों आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर संदेह दूर कर लेना चाहिए।
32. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
33. कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रेप्युडिएट) किया जा सकता है।
34. निविदा स्वीकार होने के बाद आपूर्ति आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर अनुमोदित निविदाकार कार्य शुरू करायेगा।

- 35.** यदि निविदा सूचना में दर्शायी गई मात्रा से नियमानुसार अधिक मात्रा में कार्य हेतु आदेश दिया जाता है तो निविदाकार ऐसी आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिये बाधित होगा। निविदा में दी गई दरों एवं शर्तों के अधीन रहते पुनरावृति आदेश (रिपिटेड ऑर्डर) दिये जा सकते हैं। पुनरावृति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 50 प्रतिशत तक के लिये हो सकेगा एवं ऐसा आदेश अंतिम आपूर्ति के 2 माह के भीतर दिया जा सकेगा। अगर निविदाकार ऐसी आपूर्ति करने में असफल रहता है तो कार्यालयाध्यक्ष सीमित निविदा अथवा अन्य श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिये स्वत्रंत होगा। ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो अनुमोदित निविदाकार से वसूलनीय होगा।
- 36.** यदि कार्यालयाध्यक्ष कार्य का कोई आदेश देता है अथवा कार्य की मात्रा कम करने का आदेश देता है तो अनुमोदित निविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 37.** आकस्मिक कार्य की आपूर्ति वास्तविक आकस्मिकता उत्पन्न होने पर मांग किये जाने पर करनी होगी। ऐसी मांग प्रति श्रमिक अधिकतम 15 दिवस प्रतिमाह के लिये हो सकती। आकस्मिकता उत्पन्न न होने पर ऐसे किसी श्रमिक की सेवायें नहीं ली जावेंगी।
- 38.** अरनेस्ट मनी (धरोहर राशि) रुपये 16000/- मात्र (अक्षरे रु० सोलह हजार मात्र) or for the bid security amount bidder has to submit ‘Form of bid securing declaration on rs. 50/- plus 30% surcharge stamp paper as per FD circular AF.2 (1) Fin/G&T-SPFC/2017 Jaipur Dated-23-12-2020’ के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि नकद ट्रेजरी चालान/बैंक ड्रापट अथवा अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के लिये अरनेस्ट राशि जमा कराना आव यक नहीं है।
- 39.** निम्न परिस्थितियों में अरनेस्ट मनी जब्त कर ली जावेगी:-
- जब अनुमोदित निविदाकार टेण्डर खुलने के बाद लेकिन स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव हटाता (विदङ्ग करता) है, अथवा इसमें परिवर्तन करता है।
 - जब अनुमोदित निविदाकार निहित समय के भीतर अनुबन्ध का सम्पादन नहीं करता है।
 - जब अनुमोदित निविदाकार आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद सिक्योरिटी डिपोजिट जमा नहीं कराता है।
 - जब अनुमोदित निविदाकार कार्य आदेश के अनुसार निहित समय के भीतर कार्य करने में असफल रहता है।
- 40.** अनुमोदित निविदाकार को कार्य आदेश मिलने के 3 दिवस के भीतर अनुबन्ध का निष्पादन कराना होगा। अनुबंध पत्र के साथ रुपये 16000/- मात्र (अक्षरे रु० सोलह हजार मात्र) की राशि (कुल अनुमानित वार्षिक व्यय आठ लाख का दो प्रतिशत) एफडीआर के रूप में सिक्योरिटी जमा करा कर एफडीआर इस कार्यालय को सौंपनी होगी, जो अनुबंध की अवधि तक कार्यालय में ही जमा रहेगी।
- 41.** उक्त अनुबन्ध की अवधि निविदा सम्पादित होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये तथा नियमानुसार विस्तारित अवधि के लिये विधि मान्य होगी, जिसकी अवधि पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- 42.** अरनेस्ट मनी को सिक्योरिटी डिपोजिट के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा। सिक्योरिटी डिपोजिट पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 43.** निम्न मामलों में सिक्योरिटी अंशतः/पूर्णतः जब्त की जा सकेगी।
- संविदा की शर्तों के भंग होने की स्थिति में।
 - जबकि अनुमोदित निविदाकार सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
 - सिक्योरिटी डिपोजिट की जब्ती के लिये उचित समय का नोटिस दिया जावेगा। इस बाबत कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 44.** अनुबन्ध के सम्पादन एवं मुद्रांकन (स्टाम्पिंग) का व्यय अनुमोदित निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाये मुद्रांकित अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

45. कार्य की अवधि 8 घंटे प्रति श्रमिक,प्रति दिवस होगी। पागल, बालक (18 वर्ष से कम) एवं विकलांग श्रमिकों की सेवायें स्वीकार नहीं की जावेगी। कार्य स्थल पर श्रमिकों को स्वयं के साधन से पहुंचना होगा।
46. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि श्रमिक / श्रमिकों द्वारा कोई न्यायिक प्रकरण / लिटिगेशन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
47. श्रमिक हितों के संरक्षण का एक मात्र दायित्व अनुमोदित निविदाकार का रहेगा। श्रम कल्याण के लिये अपेक्षित सुविधायें अनुमोदित निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग को श्रमिकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
48. अनुबन्ध द्वारा आउट सोर्सिंग से कराये जाने वाले कार्य हेतु अनुमोदित निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों द्वारा उठायी गई किसी प्रकार की शिकायत को सुनने के लिये विभाग बाध्य नहीं है।
49. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
50. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या सरकारी सम्पत्ति का नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी।
51. यदि निविदाकार ऐसी शर्त लगाता है जो यहां उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विपरीत है तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। किसी स्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत हुई नहीं समझी जावेगी, जब तक इसकी लिखित स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नहीं कर दी जाती है।
52. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह न्यूनतमक निविदा ही हो। कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
53. अनुमोदित निविदाकार को सम्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय अनुमति प्राप्त होने तथा कोष कार्यालय से आहरित होने पर किया जायेगा। विलम्ब का ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुमोदित निविदाकार प्रतिमाह बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता को ठेका देने के लिये कार्यालयाध्यक्ष स्वंत्रंत होगा।
54. यदि संविदा के निर्वचन, अर्धान्यन एवं संविदा की शर्तों के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो संविदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी को एकमात्र आर्बिट्रेटर (पंच) के रूप में नियुक्त करेगा, जो मामलों के बाद अपना जो भी निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा।
55. समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर रेप्सर एकट को ध्यान में रखते हुए करना होगा।
56. किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार नागौर ही होगा।
57. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा।
58. करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
59. इण्डियन लेबर कान्ट्रोकटर (Regulation and Abolition Act 1970) एवं इनके अन्तर्गत बने नियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अद्यतन प्रावधानों की पालना करने के लिये अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।
60. आउट सोर्सिंग पर कार्य, कार्यालय-वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, नागौर के क्षेत्राधिकार में विभाग द्वारा खनिज पूर्वक्षण एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य हेतु किया जावेगा तथा आउटसोर्सिंग से श्रमिक लगाने हेतु अनुमोदित निविदाकार द्वारा सीधे रूप से विभाग को किन्हीं व्यक्तियों की सेवायें नहीं दी जावेगी, न ही किन्हीं व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावेगा।